मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
-0-

क्रमांक 536 | 2020/पी–1/इकतीस   भोपाल,दिनांक 26 मई,2020

प्रति,

कलेक्टर
जिला समस्त,
............{मध्यप्रदेश}

विषयः– "मुख्य मंत्री कोविड–19 योद्धा" योजना में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारी का सहयोजन ।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा जारी विषयांकित योजना पत्र क्रमांक 517 दिनांक 17–4–2020

-0-

राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17–04–2020 को "मुख्य मंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना" के विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं । उक्त निर्देश की कण्डिका–3.3 में गृह राजस्व, नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियों को पात्रय माना गया है, जो कोविड़–19 महामारी में सेवा के लिये राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किये गये है ।

2– कोविड–19 में जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, संविदा एवं आऊटसोर्स कर्मी, अनुबंधित, दैनिक वेतन भोगी{स्थाईकर्मी} जल संसाधन विभाग, कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है ।

3– जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षैत्र में लॉक डाऊन का पालन करवा रहे है, साथ ही सेनेटाईजेशन, हाथ धुलाई, फेस मॉस्क निर्माण एवं वितरण, जरूरतमंद परिवारों को भोजन व आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवा रहे है। प्रवासी श्रमिकों के आगमन पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण, सेम्पल लिया जाना तथा उन्हें समुचित उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाने की भी व्यवस्था की जा रही है ।

4– अतः कोविड–19 में इनकी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए संदर्भित निर्देश की कण्डिका 3.4 अनुसार कृपया उक्त कर्मियों को "मुख्य मंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना" में पात्र कर्मी घोषित करने का कष्ट करें ।

21/5/2020
{ डी पी आहूजा }
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग

–2–

पृष्ठांकन क्रमांक 517/2020/पी–1/इकतीस भोपाल,दिनांक 16 मई,2020

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल {मध्यप्रदेश}

2– आयुक्त,कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय,जल संसाधन विभाग,भोपाल(33)

3– आयुक्त,भू–अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना,रींवा(04)

4– समस्त मुख्य अभियन्ता/परियोजना संचालक,जल संसाधन विभाग..................................

5– समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री,जल संसाधन विभाग, ...

6– वेब मैनेजर {EIMS} कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर तत्काल विभाग की बैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग